

प्रपत्र-5

**परियोजना का नाम:-** जनपद-रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र के दारगाथ के तहसील-ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट-बस्टी मोटर मार्ग को एन०एच०-107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 हैं वर्गभूमि भूमि का लो०नि�०वि० को हस्तान्तरण।


---

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/ विभागध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।



क.नील अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिकारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

२६.१

संख्या- २। / ।।।(२) / 17-35(प्रा०आ०) / 2010

प्रेषक,

ए०ए० पांगती,  
उप सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

✓ प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-२

विषय:-

जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट-बस्टी मोटर मार्ग को एन०ए० 109 (107) से जोड़ने के लिए मंदाकिनी नदी पर "शहीद गजेन्द्र रिंह बिष्ट" के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्थीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्ष०का० १०, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा विषयगत सेतु कार्य की स्थीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन, जिसकी लम्बाई 100 मी० तथा ठी०ए०सी० वित्त द्वारा अनुमोदित लागत ₹ 1438.92 लाख {₹ 1203.16 + ₹ 235.76 (उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्य)} की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्थीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निकर्तन में रखे जाने की गहामहिम श्री राज्यपाल नियमाकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्थीकृति प्रदान करते हैं :-

(i) उक्तानुसार कुल स्थीकृत लागत ₹ 1438.92 लाख के सापेक्ष ₹ 235.76 लाख की धनराशि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के अनुसार कराये जाने वाले कार्यों हेतु स्थीकृत की गई है।

(ii) विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्थीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैङ्घूल आफ रेट में स्थीकृत नहीं हैं। अधका बजार भाव से ली गई हो, की स्थीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुगोदन आवश्यक होगा।

(iii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्थीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्थीकृति के कोई प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस रीमा तक धनराशि की स्थीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।

(iv) प्रत्येक स्थीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माइलरटोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेंगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(v) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्थीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(vi) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समर्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी अभियन्ता का होगा।

(vii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्थीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(viii) कार्य कराने से पूर्व रागत्र औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को राम्पादित कराते साथ पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समर्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(ix) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्थीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

JEC  
60/20

SS  
SS 611  
7/11/2017  
100%

देहरादून : दिनांक ५ जनवरी, 2017

(x) यदि संलग्न कार्यों में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा रखीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(xi) रखीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुरितका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समर्त दिशा निर्देशों का कड़ाई रो अनुपालन किया जायेगा।

(xii) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2017 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xiii) गुरुव्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047 / XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xiv) विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 0.10 लाख का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-183 / XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, के अन्तर्गत अलॉटमेन्ट आई0डी0 के द्वारा आपको आवंटित कोड सं0-4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस रांबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 संठकों तथा सेतुओं पर पूजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य संठकों-आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 984 / XXVII(2)/2016 दिनांक 04 जनवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवानीय,  
(ए०ए० पांगती)  
उप सचिव

संख्या- 2 | / 11(2) / 17-35(प्राठार) / 2010 तददिनांकित।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कावाही हेतु प्रेषित :-

1. गहालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मॉटर्स दिल्डग, माजरा देहरादून।
2. जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
3. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोनिवि, पौडी।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधीक्षण अग्नियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग।
8. अधिशारी अग्नियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऊखीमठ।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ए०ए० पांगती)  
उप सचिव

Photo Copy Attached

सहायक अभियन्ता  
विभाग खण्ड लो० नि�० वि०  
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)